राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

पत्रांक : ई-4965 /32–जी0एस0 / 2021–ज्येष्ठता.
दिनांक : 02 अगस्त, 2021

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश,
राजभवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त कुलपति / निदेशक,
राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय / महोदया,

राजभवन में कुलपतिगण के आदेशों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न सन्दर्भ प्राप्त होते रहते हैं। परीक्षण करने पर यह संज्ञान में आया है कि अनेक मामले ऐसे हैं जिसमें शिक्षकों / गैर शिक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता को लेकर विवाद रहता है।

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु आपके संज्ञान के लिए प्रस्तुत हैं:–

(1) कुछ प्रकरणों में देखा गया है कि अध्यापकगण अन्य राज्यों की सेवाओं, स्ववित्तपोषित संस्थाओं की सेवाओं तथा Adhoc (तदर्थ) सेवाओं के अनुभव को विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष तथा प्रभावी प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सम्बद्ध करने का आग्रह करते हैं।

(2) एक विश्वविद्यालय में आचार्य की ज्येष्ठता के प्रश्न के निराकरण के लिए प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली को सन्दर्भित हुआ। प्रकरण में विश्वविद्यालय तथा कुलाधिपति कार्यालय को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखना पड़ा।

(3) कतिपय विश्वविद्यालयों में एक विभाग में अलग–अलग विषय के लोग सम्मिलित होते हैं जिनमें भी पारस्परिक ज्येष्ठता का विवाद उत्पन्न होता है।

(4) कई बार अध्यापकों के कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम के तहत कई वर्षों तक विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यवाही आरम्भ नहीं की जाती और इस बीच नियमित अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद उस विभाग में पूर्व से कार्यरत अध्यापकों को कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम का लाभ प्राप्त होता है। इसके कारण भी ज्येष्ठता का विवाद उत्पन्न होता है।

3. उपरोक्त कुछ विषय दृष्टान्त स्वरूप इंगित करते हुए आपका ध्यान आपके विश्वविद्यालय के सुसंगत अधिनियमों, परिनियमों तथा समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों और आपके विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नियामक संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट किया जाता है। यदि इन व्यवस्थाओं का अक्षरशः मूल भावना के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है तो इस प्रकार के विवादों को कम किया जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर ही यदि यह मामले निपट जाते हैं तो ऐसे मामलों में प्रभावित पक्षकारों को जहाँ एक ओर अल्प समय में ही न्याय मिलने की सुविधा मिल जायेगी, वहीं दूसरी ओर ऐसे विवाद कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष कार्यालय में कम प्रस्तुत होंगे।

4. उक्त पृष्ठभूमि में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाही तथा प्रोन्नति की कार्यवाही समय से सुनिश्चित करा दी जाये तथा शिक्षकों/गैर शिक्षकों के पारस्परिक वरिष्ठता के सभी प्रकरणों में प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई करके प्रत्येक संवर्ग की अविवादित अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करा दी जाये। कृपया इस सम्बन्ध में अविलम्ब पहल करके कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि वरिष्ठता से सम्बन्धित विवादों की संख्या न्यूनतम हो सके।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।